

राजस्थान विधान सभा
षष्टम् सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

(अ) वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/09पार्ट-87 दिनांक 9.9.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/05पार्ट-88 दिनांक 24.9.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(43)वित्त/कर/05-36 दिनांक 24.8.2007 के अधिक्रमण में विशेष आर्थिक क्षेत्र में संकर्म संविदा में अन्तर्वलित माल के हस्तान्तरण पर संदेय कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2015-93 दिनांक 01.10.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर पवन शक्ति से केप्टिव उपयोग के लिये विद्युत जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऊर्जा के उपभोग पर देय विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.24(16)वित्त/कर/2015-94 दिनांक 7.10.2015 जिसके द्वारा फिक्की महिला संगठन द्वारा राजमंदिर सिनेमा हॉल , जयपुर में हिन्दी फिल्म बजरंगी भाईजान के दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को एकल प्रदर्शन पर संदेय मनोरंजन कर पर छूट प्रदान की गई है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-पार्ट-95 दिनांक 14.10.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 8.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 के अन्तर्गत कतिपय उद्यमों हेतु स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(21)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 10.11.2015 जिसके द्वारा मैसर्स पर्तो इण्डिया लिमिटेड द्वारा संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर लगने वाले प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(101)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 17.11.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया ;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(93)वित्त/कर/2012-102 दिनांक 20.11.2015 जिसके द्वारा अर्थ मूविंग एण्ड माईनिंग मशीनरी को राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-103 दिनांक 2.12.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.24(19)वित्त/कर/2015-104 दिनांक 9.12.2015 जिसके द्वारा टाईम्स ऑफ इंडिया-एनआईई, जयपुर द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में चलचित्रों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या : एफ.2(102)वित्त/कर/2010 पार्ट - 107 दिनांक 31.12.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2013-108 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा राज्य के विधिक माप विज्ञान द्वारा आयातित मोबाईल स्टैण्डर्ड वे किट पर राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2013-109 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा राज्य के विधिक माप विज्ञान द्वारा आयातित मोबाईल स्टैण्डर्ड वे किट पर राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(129)वित्त/कर/2011पार्ट-110 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्लास्टिक से इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड टैक्सटाईल फैब्रिक्स आदि के विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर घटाकर एक प्रतिशत की गई है ;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-111 दिनांक 8.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
16. अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 12.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998(1999 का अधिनियम संख्या-14) की धारा-9-क के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर देय राशि में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.24(2)वित्त/कर/2016-114 दिनांक 14.1.2016 जिसके द्वारा फिल्म चॉक एण्ड डस्टर को दिनांक 15 जनवरी, 2016 से 14 जनवरी, 2017 तक मनोरंजन कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(147)वित्त/कर/2011-115 दिनांक 14.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51क के अन्तर्गत एमनेस्टी स्कीम, 2016 जारी की गई है ;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-1-122 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-123 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-124 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-126 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-127 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-128 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-129 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-130 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-139 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-131 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-132 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)वित्त/कर/12-118 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है;
31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-133 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2010-134 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(75)वित्त/कर/2015-60 दिनांक 21.7.2015 में संशोधन किया गया है;
33. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2016-135 दिनांक 2.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)वित्त/कर/2003-136 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
35. अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)वित्त/कर/2003-137 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत अक्षय पात्र फाउण्डेशन, जयपुर को विक्रय किये जाने वाले पैकड पीने के पानी को सशर्त वैट से छूट प्रदान की गई है ;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(113)वित्त/कर/2015-138 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-III-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(113)वित्त/कर/2015-139 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा मैसर्स सीकेएस मेडिकेयर प्रा0 लि0 को कस्टमाइज्ड पैकेज के संबंध में विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-142 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/2005-11 दिनांक 15.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-143 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-144 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/2005-61 दिनांक 9.6.2006 में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-145 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/05-123 दिनांक 8.1.2007 में संशोधन किया गया है;
42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-146 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/2008पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-147 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-148 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(84)वित्त/कर/2009-12 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया है;
45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-149 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-150 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(102)वित्त/कर/10-74 दिनांक 8.9.2010 में संशोधन किया गया है;
47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-151 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
48. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-152 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/11-135 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
49. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-153 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/11-137 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
50. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-154 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
51. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-155 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/11-163 दिनांक 15.3.2011 में संशोधन किया गया है;

52. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-156 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(22)वित्त/कर/2011-41 दिनांक 1.9.2011 में संशोधन किया गया है;
53. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-157 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
54. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-158 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 में संशोधन किया गया है;
55. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-159 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(16)वित्त/कर/2010-71 दिनांक 23.11.2011 में संशोधन किया गया है;
56. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-160 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-4 दिनांक 5.4.2012 में संशोधन किया गया है;
57. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-161 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-8 दिनांक 23.04.2012 में संशोधन किया गया है;
58. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-162 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-118 दिनांक 26.03.2012 में संशोधन किया गया है;
59. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-163 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(31)वित्त/कर/2012-41 दिनांक 18.07.2012 में संशोधन किया गया है;
60. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-164 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(26)वित्त/कर/2012-46 दिनांक 18.07.2012 में संशोधन किया गया है;
61. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-165 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर /87-पार्ट-1-37 दिनांक 4.07.2013 में संशोधन किया गया है;
62. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-166 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.06.2014 में संशोधन किया गया है;
63. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-167 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(89)वित्त/कर/2012-185 दिनांक 5.02.2015 में संशोधन किया गया है;

64. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-168 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.03.2015 में संशोधन किया गया है;
65. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-169 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(177)वित्त/कर/06-16 दिनांक 5.05.2015 में संशोधन किया गया है;
66. अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-170 दिनांक 8.2..2016 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारी को केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को बिक्री पर कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
67. अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-171 दिनांक 8.2..2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 13.4..2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को विखण्डित किया गया है ;
68. अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-172 दिनांक 8.2..2016 जिसके द्वारा केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा किये जाने वाले विक्रय पर 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक कर के भुगतान पर सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
69. अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-173 दिनांक 8.2..2016 जिसके द्वारा राज्य में मिलिट्री इकाइयों से सम्बद्ध रेजिमेन्टल अथवा इकाई द्वारा चालित केन्टिनों को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
70. अधिसूचना संख्या: एफ.24(17)वित्त/कर/2015-174 दिनांक 8.2..2016 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ; एवं
71. अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/2010-179 दिनांक 16.2..2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 द्वारा जारी किये गये शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ।

(ब) आबकारी विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(41)वित्त/आब/2001 दिनांक 18.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(14)वित्त/आब/2014 दिनांक 12.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

2- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.6(262)परि/कर/मु./2007/29916 दिनांक 5.11..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटनयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायतीराज विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2014/678 दिनांक 15.10.2015, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(0)ट्यूरिज्म रूल/लीगल/पीआर/2015/13 दिनांक 11.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (पर्यटन इकाइयों के लिये पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि का आवंटन, भूमि के उपयोग का परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 2015 के अन्तर्गत कतिपय अधिकारियों को पर्यटन इकाइयों के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

4- श्री अमराराम, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.1(51)राज-6/2014/31 दिनांक 28.8.2015, जिसके द्वारा एसडीओ को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले कलेक्टरों के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/32 दिनांक 16.9.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-20 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा राजस्थान संवर्ग के प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.9(27)राज-6/2015/33 दिनांक 28.9.2015, , जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम-13 द्वारा श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन, निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/34 दिनांक 29.9.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/35 दिनांक 6.11.2015, जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

- 6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 1.12.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा-5 द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या:एफ.9(133)राज-6/2015/1 दिनांक 4.1.2016, जिसके द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सदर मुन्सरिम द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला बारां के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/02 दिनांक 12.1.2016, जिसके द्वारा नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;
- 9- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/03 दिनांक 12.1.2016, जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ; एवं
- 10- अधिसूचना संख्या:एफ.11(4)राज-6/14-पार्ट/04 दिनांक 29.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

- 1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - (I) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 ; एवं
 - (II) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014.
- 2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - (I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ;
 - (II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394(1) (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ; एवं
 - (III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

3- श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ; एवं
- II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015.

**3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार**

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)
विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर
विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान राज्य में साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(III) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

- (I) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण
प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्या-6)

"वित्तीय पुनर्संरचना, दीर्घ-अवधि योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिये, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अवधि पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिये और नीति निदेशों तथा उनसे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

- (1) श्री मोहनलाल गुप्ता (वि.सं.-131), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

- (2) श्री प्रहलाद गुंजल (वि.सं.-99), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 29 फरवरी, 2016